रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 1974/पौष 3, 1896
No. 327] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 1974/PAUSA 3, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1974

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1972, namely:—

1. (1) This Order may be called the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force on the 1st day of January, 1975.

2. In clause 2 of the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1972—

(A) in sub-clause (1)—

(i) in paragraph (a), for item (vii), the following item shall be substituted, namely:—

"(vii) Sunflower oil";

(ii) to paragraph (a), the following "Explanation" shall be added at the end, namely:—

"*Explanation.*—In this Order, 'rapesced oil' shall mean only imported rapeseed oil or oil obtained from imported rapesced.";

(B) in sub-clause (2), in paragraph (a)—

(i) item (iii) "Refined sunflower oil" shall be omitted;

(ii) item (iv) shall be re-numbered as item (iii);

(iii) the second proviso shall be omitted.

[No. 9-VP(1)/74.]

S. V. SAMPATH,
Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 1974

सा० का० नि० 696 (अ).—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस नियम का नाम वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह 1 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त होगा ।

2. वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1972 के खण्ड 2 में—

(क) उपखण्ड (1) में—

(i) परा (क) में, मद (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(vii) सूरजमुखी का तेल ";

(ii) पैरा (क) के अन्त में निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस आदेश में 'तोरिया का तेल' से केवल आयातित तोरिया का तेल या आयातित तोरिया से अभिप्राप्त तेल अभिप्रेत होगा ।";

(ख) उपखण्ड (2) में, पैरा (क) में—

(i) मद (iii) "परिष्कृत सूरजमुखी का तेल" का लोप किया जाएगा :

(ii) मद (iv) को मद (iii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

[सं० 9-वी० पी०(1)/74]

एस० वी० सम्पथ,
भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974